

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 19, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्र. 23740-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 30 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०१४.

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, २०१४.

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में उपधारा (१) में,—

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द “प्रथम अनुसूची” के स्थान पर, शब्द “प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची” स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक का लोक किया जाए.

प्रथम अनुसूची,
द्वितीय अनुसूची एवं
तृतीय अनुसूची का
स्थापन.

३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची एवं तृतीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“प्रथम अनुसूची
[धारा ३ की उपधारा (१) देखिए]

मोटरयान का वर्ग (१)	मोटरयानों के लिए कर की दर (रुपयों में) (२)
(एक) मोटर साइकिल—	९० प्रति तिमाही
(दो) मोटरयान—	
(क) जिनकी बैठक क्षमता ३+१ से अधिक नहीं है	९० प्रति सीट प्रति तिमाही
(ख) जिनकी बैठक क्षमता ३+१ से अधिक ६+१ तक है	३०० प्रति सीट प्रति तिमाही
(ग) जिनकी बैठक क्षमता ६+१ से अधिक १२+१ तक है	४५० प्रति सीट प्रति तिमाही
(तीन) अशक्त यात्री गाड़ी (विनिर्माताओं द्वारा बनाई गई)	९ प्रति तिमाही

(१)

(२)

(चार) लोक सेवा यान—

- (१) १३+१ या इससे अधिक यात्रियों को बैठाने के लिए अनुज्ञात यान तथा जो किराए या पारिश्रमिक (रिवार्ड) पर मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी (कांटेक्ट कैरेज) के रूप में चलाया जा रहा हो.
- (क) शहरी मार्गों पर नगर सेवा/सिटी बस के रूप में चलाए जाने के लिए १० प्रति सीट प्रति तिमाही
- (ख) शहरी मार्गों से लगे हुए क्षेत्रों में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए. १५० प्रति सीट प्रति तिमाही
- (२) १३+१ या अधिक यात्रियों को बैठाने के लिए अनुज्ञात यान तथा जो अतिरिक्त/आरक्षित यान के रूप में रखा गया है. १८० प्रति सीट प्रतिमाह
- (३) शहरी मार्गों से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात यान और जहां कि एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—
- (क) १०० कि.मी. से अधिक नहीं है— १८० प्रति सीट प्रतिमाह
- (ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १० कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपए १२ प्रति सीट प्रतिमाह
- (४) यदि यान पट्टा करार (लीज एग्रीमेंट) के अधीन है और यह मंजिली गाड़ी के रूप में संचालित है. उद्ग्रहीत कर के अतिरिक्त २०%
- (५) (क) अंतर्राज्यीय मार्गों पर पारस्परिक करार के अधीन चलाए जाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यान—
- (एक) साधारण बस के लिए प्रत्येक १० कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपए १२ प्रति सीट प्रतिमाह.
- (दो) साधारण बस से भिन्न के लिए प्रत्येक १० कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपए १५ प्रति सीट प्रतिमाह.
- (ख) अंतर्राज्यीय मार्गों पर पारस्परिक करार के बिना चलाए जाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यान ऊपर (क) (एक) और (दो) में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त रुपये ६० प्रति सीट प्रतिमाह या उसके भाग के लिए.
- (६) ठेका गाड़ी यान—
- (क) राज्य के भीतर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात यान जिनकी बैठक क्षमता १३+१ या अधिक है. रुपए ६०० प्रति सीट प्रतिमाह

(१)	(२)
(ख) ऐसे यान, जिनकी बैठक क्षमता १३+१ या अधिक है और जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८८ की उपधारा (९) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए "आल इंडिया टूरिस्ट परमिट" के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात हैं।	रुपए ७०० प्रति सीट प्रतिमाह
(ग) ऐसे यान, जिनकी बैठक क्षमता १३+१ या अधिक है और जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८८ की उपधारा (८) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए विशेष अनुज्ञा-पत्र पर ठेके पर चलाए जा रहे हैं।	रुपए १८० प्रति सीट प्रतिमाह + अतिरिक्त/आरक्षित मोटरयान कर.
(घ) ऐसा यान, जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८८ की उपधारा (९) के अधीन अन्य राज्य द्वारा जारी किए गए "आल इंडिया टूरिस्ट परमिट" या धारा ८८ की उपधारा (८) के अधीन जारी किए गए विशेष अनुज्ञा पत्र के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात है—	
(एक) बैठक क्षमता १२+१ तक	रुपए ५० प्रति सीट प्रति दिन
(दो) बैठक क्षमता १३+१ या अधिक	रुपए २०० प्रति सीट प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए.
(ङ) ऐसे यान, जो मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८७(१) (क) के अधीन दिए गए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं—	
(एक) यदि अनुज्ञापत्र मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दिया गया है.	रुपए १२ प्रति सीट प्रति दिन+ अतिरिक्त/आरक्षित यान कर.
(दो) यदि अनुज्ञापत्र अन्य राज्य द्वारा दिया गया है.	रुपए ५० प्रति सीट प्रति दिन
(७) ग्रामीण सेवा यान जिनकी बैठक क्षमता ३+१ से ७+१ तक है और जो ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए दिए गए नियमित अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आते हैं.	ग्रामीण अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता तक यान के मानक मूल्य का १ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण १.—यात्रियों की ऐसी संख्या में, जिन्हें ले जाने के लिए यान अनुज्ञात है, ऐसे यान का चालक और परिचालक सम्मिलित नहीं हैं और यात्रियों की संख्या उतनी होगी जितनी कि मोटरयान अनुज्ञापत्र द्वारा ले जाने के लिए प्राधिकृत है.

स्पष्टीकरण २.—प्रथम अनुसूची की मद एक, दो और तीन में विनिर्दिष्ट कर केवल ऐसे यान के लिए होंगे जो कि मध्यप्रदेश राज्य में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी उपयोग के अधीन हैं.

स्पष्टीकरण ३.—ऐसे यान द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात दूरी, जिसके संबंध में मोटरयान अधिनियम, १९८८ के अधीन अनुज्ञापत्र दिया गया है, वह दूरी होगी, जो मध्यप्रदेश में अनुज्ञापत्र के अनुसार तय किए जाने के लिए प्राधिकृत है.

स्पष्टीकरण ४.—ऐसे यानों को, जो नियमित ग्रामीण अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आते हैं, किसी और कर का भुगतान नहीं करना होगा, यदि वे अपना ग्रामीण अनुज्ञापत्र समुचित समय में नवीकृत करा लेते हैं. यदि वे ग्रामीण मार्ग से भिन्न मार्ग पर यान चलाना चाहते हैं, तो उस श्रेणी के यान के लिए द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर तथा पूर्व में संदत्त कर का अन्तर उद्ग्रहणीय होगा.

(१)

(२)

(पांच) माल वाहन—

(१) ऐसे मालयान पर, १ अक्टूबर २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत था और जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है, कर, द्वितीय अनुसूची की मद ६ के अनुसार होगा.

(२) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत था और जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम से अधिक है, कर,—

(क) ५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. रुपए ६००० प्रति वर्ष

(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए १००० प्रति वर्ष

(३) अन्य राज्यों के मालयान जिनका रजिस्ट्रीकृत लदान भार—

(क) ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है रुपए ४२०० प्रति वर्ष

(ख) ५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. रुपए ६००० प्रति वर्ष

(ग) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए १००० प्रति वर्ष

स्पष्टीकरण १.—अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो उस राज्य द्वारा जारी किए गए और मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र के तहत चलाए जा रहे हैं, कर का भुगतान ऊपर खण्ड (३) में विनिर्दिष्ट दर के पचासी प्रतिशत की दर से किया जाएगा.

स्पष्टीकरण २.—अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो एक मास से अनधिक की कालावधि के अस्थायी अनुज्ञापत्र के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है, कर की दर ऊपर खण्ड (३) में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिवर्ष देय कर का १/१२ भाग होगी.

स्पष्टीकरण ३.—मद पांच (२) में विनिर्दिष्ट मालयान के संबंध में, यान के स्वामी द्वारा, धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन अपनी पसंद से कर का संदाय किया जाएगा.

स्पष्टीकरण ४.—१ अक्टूबर २०१४ को या उसके पश्चात् अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत मालयान के संबंध में कर, द्वितीय अनुसूची की मद ८ के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा और धारा ५ की उपधारा (२) में उपबंधित किए गए अनुसार प्रथम अनुसूची की मद पांच (३) के अनुसार कर काटा जाएगा.

(छह) निजी सेवा यान जिनकी बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो. रुपए ४८० प्रति सीट प्रति तिमाही

(सात) शैक्षणिक संस्था बस रुपए १२ प्रति सीट प्रति वर्ष

(आठ) अन्य यान—

(१) (क) मद एक, दो तथा तीन के अतिरिक्त अन्य यान जो व्यावसायिक प्रमाण-पत्र या अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत आते हैं और जिनका लदान रहित वजन ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. रुपए ६०० प्रति तिमाही

(१)	(२)
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए,	रुपए ३००.०० प्रति मास
(२) ऐसे यान जो अन्य राज्य की किसी अनुसूची में नहीं आते हैं और मध्यप्रदेश राज्य में लाए जाते हैं—	
(क) ऐसे यान जिनका लदान रहित वजन ३००० किलोग्राम तक है.	रुपए ५००.०० प्रति मास
(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए,	रुपए २००.०० प्रति मास

द्वितीय अनुसूची
[धारा ३ की उपधारा (१) देखिए]

मोटरयानों का विवरण (१)	जीवनकाल कर की दर (२)
१. (क) मोटर साइकिल संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित.	यान के मानक मूल्य का ७%
(ख) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. द्वारा चलित मोटरसाइकिलें—	यान के मानक मूल्य का ५%
२. मोटर कार / मोटर कैब (जिनमें अशक्त यात्री गाड़ी सम्मिलित हैं)—जिनका मानक मूल्य—	
(१) रुपए १५.०० लाख तक—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल चलित	यान के मानक मूल्य का ७%
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६%
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चलित	यान के मानक मूल्य का ५%
(२) रुपए १५.०० लाख से अधिक—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल चलित	यान के मानक मूल्य का ८%
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६%
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चलित	यान के मानक मूल्य का ५%
३. मोटरयान जिसकी बैठक क्षमता ६+१ से अधिक तथा १२+१ तक है (निजी उपयोग हेतु अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु)—	
(क) पेट्रोल अथवा डीजल चलित	यान के मानक मूल्य का ८%
(ख) हायब्रिड यान	यान के मानक मूल्य का ६%
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चलित	यान के मानक मूल्य का ५%
४. अशक्त यात्री गाड़ी (मोटरसाइकिल)	३६० रुपए

	(१)	(२)
५. मोटर यान जिनकी बैठक क्षमता ३+१ है—		
(क) पेट्रोल अथवा डीजल द्वारा चलित		यान के मानक मूल्य का ७%
(ख) हायब्रिड यान		यान के मानक मूल्य का ६%
(ग) बैटरी / सीएनजी / एल.पी.जी. / चलित		यान के मानक मूल्य का ५%

६(१) १ अक्टूबर, २०१४ के पूर्व परिवहन यान के रूप में रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान जो त्रैमासिक/मासिक मोटरयान कर का भुगतान कर रहे हैं और जिनकी बैठक क्षमता ३+१ और १२+१ के बीच है, के लिए जीवनकाल कर की दर वर्ष में एक या दो समान किशतों में संदत्त की जाएगी जो निम्नानुसार होगी:—

(१)	(२)	(३)
वाहन का प्रकार	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान
(क) बैठक क्षमता ३+१ तक	यान के मानक मूल्य का ३%	यान के मानक मूल्य का २%
(ख) बैठक क्षमता ३+१ से अधिक तथा ६+१ तक.	यान के मानक मूल्य का ४%	यान के मानक मूल्य का ३%
(ग) बैठक क्षमता ६+१ से अधिक तथा १२+१ तक.	यान के मानक मूल्य का ५%	यान के मानक मूल्य का ४%

(२) ऐसे यान जो निजी उपयोग के लिए पूर्व में रजिस्ट्रीकृत हैं जिनका जीवनकाल कर संदाय किया जा चुका है और जो परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किए गए हैं पर जीवनकाल कर के अतिरिक्त कर निम्नानुसार संदत्त किया जाएगा :—

(क) मोटर केब	-	यान के मानक मूल्य का १ प्रतिशत
(ख) मेक्सी केब	-	यान के मानक मूल्य का २ प्रतिशत
७. ऐसे मालयान जिनका कि रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है तथा जो १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत है, जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी:—		
(क) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख तीन वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.		यान के मानक मूल्य का ४%
(ख) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान.		यान के मानक मूल्य का ३%
८. मालयान—		
(क) चेसिस		मानक मूल्य का ७%
(ख) निर्माता द्वारा निर्मित बॉडी युक्त		मानक मूल्य का ६%
९. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य नवीन मोटरयान.		मानक मूल्य का ६%

(१)

(२)

१०. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले तथा १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत ऐसे समस्त मोटरयानों के लिए जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी:—

(क) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष तक के पुराने वाहन के मानक मूल्य का ४% रजिस्ट्रीकृत यान.

(ख) १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष से अधिक पुराने वाहन के मानक मूल्य का ३% रजिस्ट्रीकृत यान.

स्पष्टीकरण १.—खण्ड ६, ७ एवं १० के अधीन जीवनकाल कर जमा करने की तारीख को ऐसे वाहन पर कोई कर बकाया नहीं होना चाहिए. १ अक्टूबर, २०१४ के प्रारंभ होने की तारीख से ऐसे वर्ग के यान को मासिक/त्रैमासिक कर भुगतान करने से वर्जित होंगे.

स्पष्टीकरण २.—यान के मानक मूल्य से अभिप्रेत है रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य या उस समय परिवहन विभाग द्वारा निश्चित किया गया उक्त यान का मानक मूल्य, जो भी उच्च हो.

स्पष्टीकरण ३.—यानों के उपरोक्त वर्ग के मानक मूल्य के आधार पर जीवनकाल कर की संगणना करने के लिए यान स्वामी से यह अपेक्षा की जाएगी की वह रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा जारी की गई विक्रय रसीद प्रस्तुत करे. यान का मानक मूल्य मध्यप्रदेश में देय मानक मूल्य होगा.

स्पष्टीकरण ४.—एबैटरी/सीएनजी/एल.पी.जी. चलित यानों के संबंध में कर की दर केवल तभी देय होगी जबकि ऐसा यान निर्माता द्वारा ही इस प्रकार निर्मित किया गया है.

स्पष्टीकरण ५.—हायब्रिड यान ऐसा यान है जो कि यान को चलाने के लिए दो या अधिक भिन्न स्रोतों का उपयोग करता है. जिनमें से एक सीएनजी/एल.पी.जी./एनएलजी या बैटरी होना चाहिए.

तृतीय अनुसूची (धारा ४ देखिए)

यान का वर्ग (१)	नगर निगम के भीतर स्थित निर्माता या व्यापारी (२)	नगर निगम से भिन्न क्षेत्र के भीतर स्थित निर्माता या व्यापारी (३)
१. मोटर साइकिल / दो पहिया	रुपए १०००० प्रतिवर्ष	रुपए ६००० प्रतिवर्ष
२. कोई अन्य यान	रुपए १८००० प्रतिवर्ष	रुपए १२००० प्रतिवर्ष

निरसन तथा व्यावृत्ति ४. (१) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ६ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई को बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वाहनों की संख्या तथा प्रकारों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि करों के संग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाए. जिससे आम जनता निजी तथा सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्थित, सुरक्षित तथा आरामदायक सेवाओं का लाभ ले सके.

२. इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए मोटरयान कर की दरों को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाना प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण रोकने हेतु विद्यमान कर की दर २ प्रतिशत तक कम की गई है। इस बात को ध्यान में रखकर कि ऐसे छोटे मालयानों के स्वामियों से, जिनका रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम तक है तथा ऐसे छोटे मोटरयानों के स्वामियों से, जिनकी बैठक क्षमता १२+१ तक है, बार-बार कार्यालय आने की अपेक्षा नहीं की जाती है, तिमाही कर जमा करने के विकल्प को समाप्त करने के लिए जीवन काल कर अनिवार्य कर दिया गया है जिससे छोटे यानों पर बकाया कर की जांच की जा सके।

३. यात्रियों को आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, डीलक्स और वातानुकूलित बसों के लिए कर की दरों को इस प्रकार कम किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि वे साधारण बसों के कर की दरों के समान हो जाएं। राज्य के आंतरिक क्षेत्रों तथा राज्य से लगे हुए क्षेत्रों तक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, वाहनों के लिए करों की दर भी कम की गई है। स्कूली वाहनों के लिए वर्ष १९९२ से विद्यमान कर की दर को इस प्रकार कम किया गया है ताकि प्रति सीट प्रतिमाह एक रुपए का उद्ग्रहण किया जा सके। कर अपवंचन रोकने के लिए भुगतान की प्रक्रिया को भी युक्तियुक्त बनाया गया है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए, आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट वाली समस्त बसों के लिए करों को कम किया गया है। यह प्रस्तावित है कि लोग कर की गणना के पश्चात, कर का आनलाइन भुगतान कर सकें। उपर्युक्त प्रस्ताव वर्ष २०१३ में भारत सरकार की परिवहन विकास परिषद् की पैंतीसवीं बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुरूप है।

४. चूंकि मामला, अत्यावश्यक था और विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ६ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम कतिपय उपांतरणों के साथ लाया जाए ताकि कर संग्रहण में परिवहन कार्यालयों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख : ६ दिसम्बर, २०१४.

भूपेन्द्र सिंह

भारसाधक सदस्य

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

वाहनों की संख्या तथा प्रकारों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि करों के संग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाना आवश्यक हो गया था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मोटरयान कर की दरों को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाना समीचीन था। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए, आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट वाली समस्त बसों के लिए करों को कम किया गया है। यात्रियों को आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से डीलक्स और वातानुकूलित बसों के लिए कर की दरों को कम किया जाना भी आवश्यक था।

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ६ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम कतिपय उपांतरणों के साथ लाया जाए ताकि कर संग्रहण में परिवहन कार्यालयों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.